

20.05
22

पत्रावली राज्य प्रशासन गांवों के सग
अभिधान केम कोटे या.पं. 12MLD-A
में पेश। वरील कादीगण उपस्थित।
वरील कादीगण ने निवेदन किया कि
पक्षकारान द्वारा पूर्व में राजीनामा पेश
किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या
5 का नाम लेखी उपर तारा डोके संबंधी
साम पंचायत की तस्वीर भी ससुत की
जा चुकी है। इसलिये राजीनामा अनुसार
पक्षकारान को खतरेदार घोषित किया
जाकर भूमि का विभाजन किया जाकर
वाट टिकी किया जाके।

पत्रावली का अवलोकन करने
पर पाया जाता है कि पक्षकारान
द्वारा ससुत किया गया राजीनामा
स्वीकार किया जाकर उचित कार्य

होता है।

अतः राजीनामा स्वीकार किया जाता
राजीनामा अनुसार वारी संख्या 1 से चक
23 AS के प.नं. 123/44 के किला नं. 2 ता
9, 10, 11, 12, 13 की 2.505 है
एवं प.नं. 123/51 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता
18, 24, 25 की 3.542 है कुल 6.047
हैक्टर भूमि, वारी संख्या 2 से चक
1 जेएसएम के प.नं. 163/52 के किला नं.
7/0.239, 8/0.114, 14 ता 18, 23 ता 25 की
2.377 है, प.नं. 163/53 के किला नं. 3
ता 5 की 0.759 है, चक 22 AS-A के
प.नं. 143/24 के किला नं. 14 ता 18, 23
की 1.518 है, प.नं. 143/29 के किला नं.
8, 9, 10, 11, 13 की 1.215 है कुल 5.869
हैक्टर भूमि का, वारी संख्या 3 से चक
23 AS के प.नं. 123/52 के किला नं.
4 ता 7 की 1.012 है, प.नं. 123/60
के किला नं. 1, 2 ता 5, 9, 10 की 1.721 है
कुल 2.733 हैक्टर भूमि का, सतिवारी
सं. 1, 6, 13, 14 से चक 1 जेएसएम
के

फर्द अहकाम

क्र. नं.	दुकान या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस दुकान की तारीख में जारी हुए
	<p>प.नं. 163/52 के क्विज.नं. ^{4,5,6,7} 0.190, 0.011</p> <p>की 0.710 हैं, 163/61 के क्विज.नं. 1, 2 ता 4, 7 ता 9, 16 की 1.974 हैं, प.नं. 163/60 के क्विज.नं. 20/0.227, 21/0.227, 22 ता 25 की 1.366 हैं, -एक 23 AS के प.नं. 143/3 के क्विज.नं. 1 ता 8, 9/0.235 की 2.259 हैं इस प्रकार कुल 6.309 ईक्वायल कृषि का, सतिवादी सं. 16 ता 19 को -एक 1 जेल्सम के प.नं. 163/59 के क्विज.नं. 11/0.151, 12 ता 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 की 3.516 हैं, प.नं. 163/60 के क्विज. नं. 11/0.228, 2 ता 9, 10/0.228, 11/0.228, 12 ता 19, 20/0.101 की 4.833 हैं इस प्रकार कुल 8.349 ईक्वायल कृषि का, सतिवादी सं. 2 ता 5, 7 ता 12, 15 को -एक 23 AS के प.नं. 123/58 के क्विज.नं. 24, 25 की 0.506 हैं, प.नं. 123/59 के क्विज.नं. 11/0.025, 11/0.202, 2 ता 8, 10/0.228, 11/0.228, 12 ता 19, 20/0.228, 21/0.228, 22 ता 25 की 6.199 हैं, प.नं. 143/2</p>	

के विवा नं. 16, 21 या 25 की 1.518 है, प.नं. 143/3 के वि.नं. 21/0.018, 10 या 21 की 3.054 है, प.नं. 143/10 के विवा नं. 18, 19, 20/0.228, 21/0.228, 22, 23 की 1.468 है, प.नं. 143/11 के विवा नं. 11/0.025, 1/3/0.202, 2 सातक, 3 सातक, 10/0.228, 11/0.228, 12, 19, 20/0.228 की 1.923 है। इस प्रकार कुल 14.668 हेक्टेयर भूमि का खानेदार इस्का फोफिट किया जाकर उक्तानुसार भूमि का विभाजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व दरसूच से आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिपोर्ट में अमलदरामद रहे। इसी आदेश का पचाई दिनांक जारी हो। पचावकी बाद तत्की तदमील होकर हाकिम हाकिम हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.5.22 को मेरे द्वारा प्रशासन गांवों के सगे अधिकारियों में सजम-र-आम में लिखवाया जाकर भुनाया गया।


 (अभिलाषा)
 उपखण्ड अधिकारी
 घडसाना